कार्यालय मुख्य अभियंता
इंदिरा सागर परियोजना (नहरें)
सनावद जिला खरगोन

दूरभाष–07280–234608
फैक्स–07280–234608
E-Mail-
ceispnvdasan@mp.nic.in

आदेश क्रमांक/सा./122025/2012/3101 सनावद, दिनांक 8/6/16

//कार्यालयीन आदेश//

कार्यालय मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद (म.प्र.) के द्वारा अपर वेदा परियोजना की दांयी तट नहर का टर्न की आधार पर निर्माण कार्य की निविदा क्र. 15/सा./मु.अ./अपरवेदा/आर.बी.सी./2015–16 दिनांक 05.03.2016 कार्य की अनुमानित लागत रू. 10.49 करोड की निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें निविदाकारो को पूर्व अर्हता निर्धारण भी किया जाना था। उक्त निविदा में मेसर्स योगी कन्स्ट्रक्शन कंपनी, अहमदाबाद के द्वारा भाग लिया गया था। उनके द्वारा भौतिक अर्हता हेतु जो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिसमें कार्यपालन यंत्री, पब्लिक हेल्थ डिविजन, थराड़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र की जारीकर्ता अथारिटी से जारी किये जाने की पुष्टि नही होती है। जिससे यह सिद्ध होता है कि निविदाकार द्वारा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। निविदाकार मेसर्स योगी कन्स्ट्रक्शन कंपनी, अहमदाबाद के इस कृत्य के कारण म.प. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. एफ 17–1 2010/19/बी 244 दिनांक 24.03.2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत इनका नाम काली सूची (Black list) में रखा जाता है।

1. नवीन निविदा प्रतिस्पर्धा में स्वयं के नाम पर अथवा भागीदारी/संचालकों के नाम पर भाग नहीं ले सकेगे।
2. किसी भी अन्य फर्म में भागीदार उभयनिष्ट होने पर/संचालक भी मण्डल में नियुक्त होने व्यक्तिगत पंजीयन होने पर वह फर्म निविदा प्रतिस्पर्धा में प्रतिबंधित रहेगी।
3. किसी भी श्रेणी में निविदा प्रपत्र क्रय करने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।
4. यदि निविदा प्राप्त भी होती है तो अनहर्त (Ineligible) मानी जावेगी।
5. निविदा स्वीकृत होने अथवा अनुबंध होने के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार का पंजीयन अनुबंध के दिनांक या उसके पूर्व निलंबित किया गया है तथा प्रभावित है तो ऐसे निविदा स्वीकृति आदेश अथवा कार्योदेश को विधि शून्य माना जावेगा।

ठेकेदार यदि चाहे तो 90 दिवस की अवधि में सदस्य (अभियांत्रिकी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के कार्यालय में अपील कर सकता है।

8/6/16
(रज्जन रोहित)
मुख्य अभियंता
इंदिरा सागर परियोजना (नहरें)
सनावद जिला खरगोन